ग्राम पंचायत पंजगाई, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर,
के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1. (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पंजगाई, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत पंजगाई में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सुनील कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री राम पाल	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) ग्राम पंचायत पंजगाई, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के लेखों अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में) (₹)
1	4 (ग)	रोकड़ बही एवं बैंक शेष में अंतर	0.38
2	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	23.76

3	7.1	पंचायत गृहकर / सम्पति कर वसूली हेतु शेष	0.56
4	7.2	दुकानों के किराये हेतु शेष	0.17
5	8.1	निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान	5.29
6	9.1	निर्माण सामग्री से रिक्तियां (Voides) की कटौती न करना	0.09
7	9.3	औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.48
8	9.4	स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	1.96

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं कि गई थी जो कि चिंताजनक है । अत: ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्यवाही करनी सुनिशिचित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके :-

(i) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2021 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति	विवरण
1	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹3600 की प्राप्ति की पुष्टि मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर पर करने के उपरांत
2	4	अनिर्णीत	
3	5	अनिर्णीत	
4	6	अनिर्णीत	
5	7	अनिर्णीत	
6	8	अनिर्णीत	
7	9	अनिर्णीत	
8	10	अनिर्णीत	
9	11 (1 से 3)	अनिर्णीत	
10	12(1 से 3)	अनिर्णीत	

11	13(1 से 3)	अनिर्णीत	
12	14	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुन: प्रारूपित।
13	15	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित।

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत पंजगाई, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक और श्री पुनीत कुमार (आर्टिकल असिस्टंट) द्वारा दिनांक 27.11.2024 से 30.11.2024 तक ग्राम पंचायत पंजगाई, के कार्यालय में किया गया | आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	03/2023
2023-24	04/2023	12/2023

अस्वीकरण :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत पंजगाई, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹6400 आंका गया | अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 600/2024 दिनांक 30/11/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4. (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत पंजगाई, द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 592/2024 दिनांक 27.11.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलंग्न **परिशिष्ट "1"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान छः रोकड़ बहियों अर्थात स्व:स्त्रोत व अनुदान (प्लानिंग), स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (PFMS), 14वें वित्तायोग, 15वें वित्तायोग व मनरेगा शीर्ष का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2022-23	3246266.87	6487432.00	9733698.87	6419706.00	3313992.87
2	2023-24	3313992.87	2807482.00	6121474.87	2789494.00	**3331980.87**

बैंक अनुसार दिनाक 31.03.2024 को अंत शेष **परिशिष्ट-1'क'** ₹3294329.07

अंतर ₹ 37651.80

(ख) दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों में ₹37651.80 का अंतर था जिसकी बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत **परिशिष्ट-1'ख'** में दिया गया है:-

	दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बहियों अनुसार अन्तशेष	3331980.87
घटाव	दिनांक 31.03.24 को असमायोजित राशि	(-)37651.80
	दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष	3294329.07

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों में ₹0.38 लाख का अंतर का समाधान न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से

मिलान करना अनिवार्य है | ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.24 को रोकड बही एवं बैंक के अंतिम शेष में राशि ₹37651.80 का अन्तर **सलंग्र परिशिष्ट "1(ख)"** अनुसार बैंक में कम पाया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 597/2024 दिनांक 28/11/2024 के प्रत्युत्तर में उक्त अंतर की राशि बारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या 48 दिनांक 30/11/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही का बैंक खातों से राशि ₹37651.80 अंतर का पता लगाकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा" । अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार अंतर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

5. सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 592/2024 दिनाँक 27.11.2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके । अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹23.76 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 592/2024 दिनाँक 27.11.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट "1"** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान प्राप्त राशियों में **₹23,75,857** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है । अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की

स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 592/2024 दिनाँक 27.11.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 46 दिनांक 30.11.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 592/2024 दिनाँक 27.11.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 46 दिनांक 30.11.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹ 0.56 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित है। पंचायत

सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 592/2024 दिनाँक 27.11.2024 के क्रम संख्या 6 के प्रतिउत्तर में उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक **परिशिष्ट "2"** अनुसार पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹56400** वसूली हेतू शेष थी। अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 दुकानों के किराये के रूप में ₹0.17 लाख की वसूली शेष:-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 592/2024 दिनांक 27.10.2024 के में सचिव द्वारा पत्र संख्या 48 दिनांक 30.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि प्रतिउत्तर दिनांक 31.03.24 तक **परिशिष्ट "3"** अनुसार दुकानों के किराये के रूप में राशि **₹16900** वसूली हेतू शेष थी। अतः दुकानों के किराये के रूप में शेष बची राशि की वसूली न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व दुकानों के किराये के रूप में शेष बची राशि की अविलम्ब वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की वसूली न करना:-

हिमाचल प्रदेश सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट-4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से **₹600** की वसूली नहीं की गई थी। अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 601/2024 दिनांक 30.11.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में न वसूली गई राशि की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि की वसूली करके इसके जमा व इन्द्राज उपरान्त अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

7.4 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.03 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना:-

हिमाचल प्रदेश सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति

पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है । लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में सलंग्न **परिशिष्ट "4"** अनुसार वसूली गई राशि **₹3300** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था । अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 602/2024 दिनांक 30.11.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 48 दिनांक 30.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

8.1 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹5.29 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा । परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्लयू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा । अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे । परिणामस्वरुप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट "5"** अनुसार राशि **₹528839** का अनियमित भुगतान किया गया । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 598/2024 दिनांक 29/11/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 48 दिनांक 30.11.2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्लू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान

किया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है | अत: राशि ₹528839 के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.1 निर्माण सामग्री से ₹0.09 लाख की रिक्तियों (Voids) की कटौती न करना:-

हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्कस स्पेसिफिकेशन (2.1.2.13) के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम.एम. से लेकर 20 एम.एम. तक 5% व 25 एम.एम. से लेकर 40 एम.एम. तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम.एम. से लेकर 75 एम.एम. तक 12.5% की दर से रिक्तियों (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई निर्माण सामग्री की मात्रा से निर्धारित दर से रिक्तियों (Voids) की कटौती नहीं की गई थी, जिस कारण आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **परिशिष्ट "6"** अनुसार राशि **₹9366.12** का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनियमित है | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 599/2024 दिनांक 29/11/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 48 दिनांक 30.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित पत्थर (stone) की खरीद पर राशि ₹9366.12 रिक्तियों (voids) की कटौती नहीं की गई है, लेकिन इसके भुगतान की वसूली कर सरकारी कोष में जमा करवा दिया जायेगा। अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त रिक्तियों (voids) की कटौती की अधिक भुगतान राशि की वसूली करने के उपरान्त इसके जमा व इन्द्राज करने में उपरान्त अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।.

9.2 मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों के सम्बन्ध में स्वयं लाभार्थी को सामग्री का क्रय करना होगा। इस सम्बन्ध में निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार The amount of material component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula : **Actual unskilled labour cost × 2/3 = Material Cost** से भुगतान करना अपेक्षित है। परन्तु उक्त नियम की अवहेलना करते हुए सलंग्न **परिशिष्ट "7"** अनुसार राशि **₹1178** का अधिक भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 603/2024 दिनांक 30/11/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 48 दिनांक 30.11.2024 द्वारा अंकेक्षण में

स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित कार्य के अधिक भुगतान राशि **₹1178** के भुगतान की वसूली सम्बंधित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी। अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्यों की अधिक भुगतान राशि की वसूली उपरान्त इसके जमा व इन्द्राज से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

9.3 राशि ₹0.48 लाख की औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | अंकेक्षण के चयनित माह 03/2023 व 12/2023 में सलंग्न **परिशिष्ट "8"** अनुसार पंचायत द्वारा राशि **₹48425** की सामग्री का क्रय निविदाएँ (Quotations) आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 604/2024 दिनांक 30.11.24 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 48 दिनांक 30.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित ₹48425 की औपचारिकताएं पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगीं।" प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। अत: औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए नियमानुसार ही स्टोर / स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.4 राशि ₹1.96 लाख सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त,बजट, लेखे, संपरीक्षा, सकर्म, कराधान और भते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार सचिव द्वारा स्टॉक /सामान की प्राप्ति पर उसका यथास्थिति परीक्षण, गणना, माप या तोल कर तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। अंकेक्षण के चयनित माह 03/2023 व 12/2023 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतू क्रय किए गए सामान के बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि **सलंग्न परिशिष्ट "9"** अनुसार राशि **₹195943** की सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 605/2024 दिनांक 30/11/2024 द्वारा प्रकरण सचिव, के ध्यानार्थ लाया गया | जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 48 दिनांक 30.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित स्टॉक रजिस्टर में क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियां कर ली जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा।" प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि क्रय किए गए सामान के स्टॉक का इन्द्राज न

करना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख नियमानुसार तैयार करके सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जायें |

9.5 मस्ट्रोल में मजदूरी राशि ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना:-

अंकेक्षण के चयनित माह 03/2023 व 12/2023 में विभिन्न कार्यों हेतू मस्ट्रोलों की जाँच करने पर पाया गया कि **सलंग्न परिशिष्ट "10"** अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कार्य वाटर टैंक सुनीता कुमारी हेतु जारी मस्ट्रोल संख्या 618 में कश्मीरी लाल सपुत्र श्री रूप लाल को 25 दिनों की मजदूरी ₹350 प्रतिदिन के स्थान पर ₹396 प्रति दिन से कुल राशि ₹1150 का अधिक भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 606/2024 दिनांक 30/11/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया | जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 48 दिनांक 30.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि मस्ट्रोल में अधिक दर से किये गए भुगतान की वसूली सम्बंधित से करके अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: मजदूरी के रूप में किये गए अधिक भुगतान की वसूली करके शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाये।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुसरण करना आपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न अभिलेख/रजिस्टरों का रख रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपतिजनक है :-

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33
3	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)

5	बजट प्राकलन	11	37
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25,26,व 28	72(1)
7	अंकेक्षण प्रतिवेदनो का अभिलेख	30	89
8	तकनीकी जांच व तकनीकी स्वीकृति के रजिस्टर	31	95(1)
9	निर्माण कार्यों के लेखे	--	103
10	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
11	भुगतान के दावों का रजिस्टर	13	48

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 593/2024 दिनांक 27.11.2024 द्वारा पंचायत को अवगत करवाया गया, जिसके प्रतिउतर में, सचिव द्वारा अपने पत्र 47 दिनांक 30.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों को बना लिया जाएगा और अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जायेगा। अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

11 प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है |अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक वार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 592/2024 दिनांक 27.11.2024 के क्रम संख्या 09 की अनुपालना में पत्र संख्या 46 दिनांक 30.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गए स्टोर / स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:**- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है अपितु समय-2 पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं/नियम प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुये छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 **निष्कर्ष:**- लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

1225-1229 20 FEB 2025 ह0/-

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(12)57/2019 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत पंजगाई, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

20 FEB 2025

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

ह0/-

Annaxure '1' पैरा संख्या '4'(क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत – पंजगाईं, विकास खण्ड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (प्लानिंग) :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	897736.87	2103265.00	3001001.87	2477639.00	523362.87
2	2023-24	523362.87	1258444.00	1781806.87	825683.00	**956123.87**

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	2348530.00	4384167.00	6732697.00	3942067.00	2790630.00
2	2023-24	2790630.00	1549038.00	4339668.00	1963811.00	**2375857.00**

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	3246266.87	6487432.00	9733698.87	6419706.00	3313992.87
2	2023-24	3313992.87	2807482.00	6121474.87	2789494.00	**3331980.87**

Diff	37651.80

सचिव
ग्राम पंचायत पंजगाईं
(हि०प्र०)

परिशिष्ट '1(क)' पैरा संख्या 4(क)

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	राशि (₹)
1	स्वयं स्त्रोत व अनुदान (प्लानिंग)	HPSCB BERI	10310105064	24195.35
	स्वयं स्त्रोत व अनुदान (प्लानिंग)	HPSCB BERI	11410102647	914593.00
	स्वयं स्त्रोत व अनुदान (प्लानिंग)	HPSCB BERI	10310105063	23152.52
	स्वच्छ भारत मिशन (Online)	HPSCB BERI	10310108991	601490.00
	14वां वित्तायोग (Offline)	IDBI BANK BILASPUR	1689104000019130	203.20
	15वां वित्तायोग (Offline)	IDBI BANK BILASPUR	1689104000038030	1730695.00
2		**योग**		**3294329.07**
		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत)		0.00
		योग (1+2)		**3294329.07**

सचिव
ग्राम पंचायत
... बिलासपुर (हि०प्र०)

परिशिष्ट 1(ख) पैरा संख्या 4(ख)

दिनांक 31.03.2024 को वितीय स्थिति का अंत शेष का विवरण:-		
1	दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	3331980.87
2	दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों का अंतिम शेष	3294329.07
3	**अन्तर**	**37651.80**
	बैंक समाधान विवरणी	
	रोकड़ बहियों व् वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को अंतिम शेष	3331980.87
	घटाव (-) दिनांक 31.03.24 को असमायोजित राशि	(-) 37651.8
	ग्राम पंचायत के पास दिनांक 31.03.2024 को विभिन वचत खातों का अंत शेष	3294329.07
	अंतर	**0**

सचिव
ग्राम पंचायत Panggain
सदर बिलासपुर (हि०प्र०)

परिशिष्ट '1 ग' पैरा संख्या '4 ग'

क्रम संख्या	रोकड़ बही का नाम	दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष	दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष का योग	अन्तर
	Own Sources & GIA (Planning)	956123.87	961940.87	5817
	SBM	597238	601490	4252
	14 FC	50803	203.20	-50599.80
	15FC	1727816	1730690	2879
Total				**37651.80**

Annaxure 2 पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत पंजगाई, विकास खंड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर							
दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-2023	0	630	50	31500	31500	2250	29250
2023-2024	29250	630	50	31500	60750	4350	**56400**

सचिव
ग्राम पंचायत ....
सदर बिलासपुर (हि०प्र०)

Annaxure 3 पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत पंजगाई, विकास खंड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर							
दूकानों के किराया वसूली न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)							
Sr. No.	Year	Opening Balance (₹)	monthly aggriment	Demand during the year (₹)	Total (₹)	Collection during the year (₹)	CLOSING BALANCE (₹)
Raj kumar							
1	2022-23	0	700	8400	8400	7700	700
2	2023-24	700	700	8400	9100	0	**9100**
Raj kumar (Lol Mitra center)							
1	2022-23	0	600	7200	7200	6600	600
2	2023-24	600	600	7200	7800	0	**7800**

TOTAL = 16,900.00

सचिव
ग्राम पंचायत ...
...बिलासपुर (हि०प्र०)

ग्राम पंचायत पंजगाई विकास खण्ड सदर जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

क्र सं	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशि	प्राप्त राशि	बकाया राशि
1	कमलेश कुमार	21-04-2022	07-05-2022	29836	50	50	0
2	वर्णिता	21-04-2022	17-05-2022	29843	200	200	0
3	मीनाक्षी	17-04-2022	17-05-2022	29846,47	400	400	0
4	अंकिता	26-09-2022	12-10-2022	29873	200	200	0
5	विजय कुमार	22-09-2022	18-10-2022	29875	200	200	0
6	निशांत शर्मा	26-09-2022	20-10-2022	29876	200	200	0
7	सुरमी कुमारी	10-02-2023	15-02-2023	29895	50	50	0
8	पुरषोतमदत्त	22-02-2023	09-03-2023	29898	200	200	0
9	अतुल गौतम	22-02-2023	09-03-2023	29899	200	200	0
10	सिप्रा शर्मा	22-02-2023	09-03-2023	29901	200	200	0
11	विकास भरद्वाज	10-02-2023	13-04-2023	29909,10	400	400	0
12	अजय	03-05-2023	17-05-2023	29916	200	200	0
13	निखिल गौतम	20-10-2023	08-11-2023	29936	200	200	0
14	अभिषेक	21-09-2023	14-12-2023	29953	400	400	0
15	मनोज कुमार	06-02-2024	26-02-2024	29975	200	200	0
16	शम्मी कुमार	03-05-2022	17-05-2022	0	200	0	200
17	मयंक	03-05-2023	06-05-2023	0	200	0	200
18	जगजीत धीमान	06-02-2024	26-02-2024	0	200	0	200
				कुल योग	**3900**	**3300**	**600**

सचिव
ग्राम पंचायत ....
सदर बिलासपुर (हि०प्र०)

Annaxure 'ड' पैरा संख्या '8.1' में संदर्भित

ग्राम पंचायत पंजग्राई, विकास खंड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर

आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

Ser No	Scheme	Name Of Work	Voucher No	Name of Vendor	Material Items	Quantity (cum)	amount
1	MNREGA	C/O SAMPARK MARG /SADAK BALMUKAND KE GHAR SE BHAG MANDIR CHANDU RAM KE GHAR TAK	1709 DATED 2/4/2022	M/S PAWAN KUMAR	SAND	10	18953.00
2	MNREGA	C/O SAMPARK MARG /SADAK BALMUKAND KE GHAR SE BHAG MANDIR CHANDU RAM KE GHAR TAK	1710 DATED 2/4/2022	M/S PAWAN KUMAR	AGG	19	34115.00
3	MNREGA	C/O SAMPARK MARG /SADAK BALMUKAND KE GHAR SE BHAG MANDIR CHANDU RAM KE GHAR TAK	1710 DATED 2/4/2022	M/S PAWAN KUMAR	STONE	15	22444.00
4	MNREGA	C/O OTHER WATER STORAGE TANK SUNIL DUTTS/O NAKLI	1454 DATED 5/1/2022	M/S PAWAN KUMAR	AGG	3	5387.00
5	MNREGA	C/O OTHER WATER STORAGE TANK SUNIL DUTTS/O NAKLI	1453 DATED 5/1//2022	M/S PAWAN KUMAR	SAND	3.5	6634.00
6	MNREGA	C/O OTHER WATER STORAGE TANK SUBHASH S/O TOTA	1292 DATED2/10/2021	M/S PAWAN KUMAR	SAND	2.5	4738.00
7	MNREGA	C/O OTHER WATER STORAGE TANK SUBHASH S/O TOTA	1292 DATED2/10//2021	M/S PAWAN KUMAR	AGG	2	3591.00
8	MNREGA	C/O OTHER WATER STORAGE TANK RATTAN LAL S/O RAMDITA	1291 DATED2/10//2021	M/S PAWAN KUMAR	SAND	3.5	6634.00
9	MNREGA	C/O OTHER WATER STORAGE TANK RATTAN LAL S/O RAMDITA	1291 DATED2/10//2021	M/S PAWAN KUMAR	AGG	3	5387.00
10	MNREGA	C/O OTHER WATER STORAGE TANK FOOLA W/O SHYAM LAL	1491 DATED5/2/2022	M/S PAWAN KUMAR	AGG+SAND	7.13	15382.00
11	MNREGA	C/O CATTLE SHED RAM PAL S/O MANI RAM	1491 DATED5/2/2022	M/S PAWAN KUMAR	SAND	3	5686.00
12	MNREGA	C/O SAMPARK MARG SADAK SE PANCHYAT GHAR	1296 DATED2/10/2021	M/S PAWAN KUMAR	STONE	5	7482.00
13	MNREGA	C/O SAMPARK MARG SADAK SE PANCHYAT GHAR	1297 DATED2/10/2021	M/S PAWAN KUMAR	STONE	10	14963.00
14	MNREGA	C/O SAMPARK MARG SADAK SE PANCHYAT GHAR	1450 DATED5/1/2022	M/S PAWAN KUMAR	SAND	9	17058.00
15	MNREGA	C/O SAMPARK MARG SADAK SE PANCHYAT GHAR	1451 DATED5/1/2022	M/S PAWAN KUMAR	AGG	17	30524.00
16	15FC	C/O PARK NEAR PANCHYAT GHAR	1742 DATED 24/9/2022	M/S PAWAN KUMAR	SAND	0.7	1327.00
17	15FC	C/O PARK NEAR PANCHYAT GHAR	501 DATED 21/9/2022	SANJAY KUMAR GOVT CO.	AGG	1	1795.00
18	15FC	C/O TOILET PANCHYAT GHAR	532 DATED 16/12/2022	SANJAY KUMAR GOVT CO.	AGG	0.6	1078.00
19	15FC	C/O TOILET PANCHYAT GHAR	1792 DATED 17/12/2022	M/S PAWAN KUMAR	SAND	2.45	4644.00
20	15FC	C/O PARKING LAKHDATA	1720 DATED 8/8/2022	M/S PAWAN KUMAR	SAND	12	22743.00
21	15FC	C/O PARKING LAKHDATA	519 DATED 6/10/2022	SANJAY KUMAR GOVT CO.	AGG	20	35910.00

22	15FC	C/O TANK NEAR SUNITA DEVI GASNI	1795 DATED 19/12/2022	M/S PAWAN KUMAR	SAND	10	18953.00
23	15FC	C/O TANK NEAR SUNITA DEVI GASNI	536 DATED 16/12/2022	SANJAY KUMAR GOVT CO.	AGG	10	17955.00
24	15FC	C/O TANK NEAR SUNITA DEVI GASNI	549 DATED 1/2/2023	SANJAY KUMAR GOVT CO.	AGG	2.5	4487.00
25	15FC	C/O TANK NEAR SUNITA DEVI GASNI	1801DATED 21/1/2023	M/S PAWAN KUMAR	SAND	10	18953.00
26	15FC	C/O TANK NEAR SUNITA DEVI GASNI	957 DATED 4/3/2023	SANJAY KUMAR GOVT CO.	AGG	10	17955.00
27	15FC	C/ORASTA RAJESH KI GASNI SE NH 21 TAK	1820 DATED 21/1/2023	M/S PAWAN KUMAR	SAND	10	18953.00
28	15FC	C/OBABDI BAG MANDIR	1827 DATED 16/3/2023	M/S PAWAN KUMAR	SAND	2	3791.00
29	15FC	C/O TANK NEAR SUNITA DEVI GASNI	1074 DATED 3/2/2023	SANJAY KUMAR GOVT CO.	AGG	10	17955.00
30	15FC	C/ORASTA RAJESH KI GASNI SE NH 21 TAK	1834 DATED 24/3/2023	M/S PAWAN KUMAR	SAND	3.5	6634.00
31	15FC	C/ORASTA RAJESH KI GASNI SE NH 21 TAK	975 DATED 30/3/2023	SANJAY KUMAR GOVT CO.	AGG	3.5	6285.00
32	SBM	C/O CSC NEAR P/GHAR	1723 DATED 8/8/2022	M/S PAWAN KUMAR	SAND	5	9475.00
33	SBM	C/O CSC NEAR P/GHAR	497 DATED 21/8/2022	SANJAY KUMAR GOVT CO.	AGG	2	3591.00
34	SBM	C/O CSC NEAR P/GHAR	1729 DATED 2/9/2022	M/S PAWAN KUMAR	STONE	8	11970.00
35	SBM	C/O CSC NEAR P/GHAR	1772 DATED 2/9/2022	M/S PAWAN KUMAR	STONE SAND	2+3.40	9437.00
36	SBM	C/O CSC NEAR P/GHAR	518 DATED 6/10/2022	SANJAY KUMAR GOVT CO.	AGG	3.3	5925.00
37	SBM	C/O CSC NEAR MAHILA MANDAL	1721 DATED 8/8/2022	M/S PAWAN KUMAR	SAND	5	9475.00
38	SBM	C/O CSC NEAR MURARI MATA TEMPLE	1722 DATED 8/8/2022	M/S PAWAN KUMAR	SAND	5	9475.00
39	SBM	C/O CSC NEAR MAHILA MANDAL	488 DATED 21/8/2022	SANJAY KUMAR GOVT CO.	AGG	2	3591.00
40	SBM	C/O CSC NEAR MURARI MATA TEMPLE	498 DATED 21/8/2022	SANJAY KUMAR GOVT CO.	AGG	2	3591.00
41	SBM	C/O CSC NEAR MAHILA MANDAL	1731 DATED 3/9/2022	M/S PAWAN KUMAR	STONE	6	8978.00
42	SBM	C/O CSC NEAR MURARI MATA TEMPLE	1730 DATED 3/9/2022	M/S PAWAN KUMAR	STONE	6	8978.00
43	SBM	C/O CSC NEAR MURARI MATA TEMPLE	514 DATED 3/10/2022	SANJAY KUMAR GOVT CO.	AGG	2.5	4489.00
44	SBM	C/O CSC NEAR MURARI MATA TEMPLE	1767 DATED 2/10/2022	M/S PAWAN KUMAR	SAND	3	5685.00
45	SBM	C/O CSC NEAR MURARI MATA TEMPLE	1767 DATED 2/10/2022	M/S PAWAN KUMAR	STONE	2	2992.00
46	SBM	C/O CSC NEAR BAG MANDIR	1765 DATED 2/10/2022	M/S PAWAN KUMAR	SAND	6	11372.00
47	SBM	C/O CSC NEAR BAG MANDIR	516 DATED 4/10/2022	SANJAY KUMAR GOVT CO.	AGG	3	5130.00

48	SBM	C/O CSC NEAR MAHILA MANDAL	1768 DATED 3/9/2022	M/S PAWAN KUMAR	STONE	4	6100.00
49	SBM	C/O CSC NEAR MAHILA MANDAL	1768 DATED 3/9/2022	M/S PAWAN KUMAR	SAND	3	5700.00
50	SBM	C/O CSC NEAR MAHILA MANDAL	515 DATED 3/10/2022	SANJAY KUMAR GOVT CO.	AGG	2.5	4489.00
Total							**528839.00**

सचिव
ग्राम पंचायत ....
...जसपुर (हि०प्र०)

परिशिष्ट "6" पैरा संख्या "9.1"

ग्राम पंचायत पंजगाई, विकास खंड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर									
पत्थर की खरीद में रिक्तियों (voids) की कटौती न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)									
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर/बिल संख्या, दिनांक	फार्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा (m3)	कुल भुगतान (₹)	कटौती दर %	रिक्तियां (Voids)(₹)
1	MNREGA	C/O SAMPARK MARG /SADAK BALMUKAND KE GHAR SE BHAG MANDIR CHANDU RAM KE GHAR TAK	1710 DATED 2/4/2022	M/S PAWAN KUMAR	STONE	15	22444.00	12.5	2805.5
2	MNREGA	C/O SAMPARK MARG SADAK SE PANCHYAT GHAR	1296 DATED2/10/2021	M/S PAWAN KUMAR	STONE	5	7482.00	12.5	935.25
3	MNREGA	C/O SAMPARK MARG SADAK SE PANCHYAT GHAR	1297 DATED2/10/2021	M/S PAWAN KUMAR	STONE	10	14963.00	12.5	1870.375
4	SBM	C/O CSC NEAR P/GHAR	1729 DATED 2/9/2022	M/S PAWAN KUMAR	STONE	8	11970.00	12.5	1496.25
5	SBM	C/O CSC NEAR MURARI MATA TEMPLE	1730 DATED 3/9/2022	M/S PAWAN KUMAR	STONE	6	8978.00	12.5	1122.25
6	SBM	C/O CSC NEAR MURARI MATA TEMPLE	1767 DATED 2/10/2022	M/S PAWAN KUMAR	STONE	2	2992.00	12.5	374
7	SBM	C/O CSC NEAR MAHILA MANDAL	1768 DATED 3/9/2022	M/S PAWAN KUMAR	STONE	4	6100.00	12.5	762.5
Total							**74929.00**	12.5	**9366.125**

सचिव
ग्राम पंचायत पंजगाई

24

32

Annaxure '7' पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत पंजगाई, विकास खंड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर

मनरेगा शीर्ष में अधिक भुगतान करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि	ग्राम पंचायत द्वारा जारी सामग्री	सामग्री पर व्यय राशि	लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि	लाभार्थी को अधिक भुगतान
1	C/o Cattle shed of sunil dutt s/o Rattan lal vill panjgain	Mastrol no-(5251, 7244, 9221, 9933, 10467) Labour Paid- (3045+17052+11872+11872+11872) 55713 x 2/3=37142	Sand, aggrigate	38320.00	37142.00	1178.00
Total						**1178.00**

सचिव पंजगाई
ग्राम पंचायत ....
सदर बिलासपुर (हि०प्र०)

Annaxure 8 पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत पंजगाई, विकास खंड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर

औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना किया गया क्रय (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 03/23 और 12/23)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	Own sources & GIA Planning	R/o janjghar of GP panjgain	133 08/22	M/s shivam sales corporation, vpo panjgain, bilaspur	Paint work	19000
2	Own sources & GIA Planning	office exp	3999 01/23	Vyas print and die, bilaspur	stationery	7025
3	15FC	C/o water tank of sunita devi vpo ghasni	1932 01/23	Mahajan steel co. mainbazar beri, bilaspur	TMT	22400
Total						**48425**

सचिव
ग्राम पंचायत Panjgain
सदर बिलासपुर (हि०प्र०)

96

Annaxure 9 पैरा संख्या 9.4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत पंजगाई, विकास खंड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर

सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी दर्ज न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)
(चयनित माह 03/23 और 12/23)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	Own sources & GIA Planning	C/o upgradation of panchayat bhawan of GP Panjgain	115,116,118 07/22	M/s shivam sales corporation, vpo panjgain, bilaspur	Hardware items	68400
2	Own sources & GIA Planning	C/o upgradation of panchayat bhawan of GP Panjgain	879,880,881 08/22	Sunny Fabrication vpo bhambla, baldwada, mandi	window glass and door	76000
3	Own sources & GIA Planning	office exp	3999 01/23	Vyas print and die, bilaspur	stationery	7025
4	15FC	C/o water tank of sunita devi, ghasni	1932 01/23	Mahajan steel co. mainbazar beri, bilaspur	TMT	22400
5	15FC	C/o path from house rajesh kumar to NH-21	56571 03/23	HPCSCLTD BILASPUR	Cement	17014
6	15FC	C/o bawadi near baag mandir	15739 01/23	HPCSCLTD BILASPUR	Cement	5104
			Total			**195943**

सचिव ग्राम पंचायत पंजगाई

27

Annaxure 10 पैरा संख्या 9.5 में संदर्भित

ग्राम पंचायत पंजगाई, विकास खंड बिलासपुर सदर, जिला बिलासपुर

निर्धारित राशि से अधिक राशी का अधिक व् गलत भुगतान करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व् दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	कार्य का नाम	अवधि	कुल दिन	देय मजदूरी दर	भुगतान की गयी मजदूरी दर	अधिक देय भुगतान (₹)	अधिक देय भुगतान (₹)
1	15FC	Mastrol no -618	kashmiri lal s/o roop lal	वाटर टैंक ऑफ़ सुनीता कुमारी	01.01.2023 to 31.01.2023	25	350	396	46 (396-350)	1150 (46×25)
	Total									1150

सचिव
ग्राम पंचायत पंजगाई
बिलासपुर (हि०प्र०)

28

28